राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
प्रगति विवरण वर्ष 2010–11
(जून, 2010 तक)

राज्य में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों, नवीन मण्डी यार्डों का निर्माण, मरम्मत व रख–रखाव का कार्य मुख्य रूप से किया जा रहा है। नई सड़कों के निर्माण के साथ–साथ बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त फसलोत्तर विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास भी विभिन्न विपणन कार्यक्रम/योजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे हैं। कृषि एवं कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने, प्रमुख फल–सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ ही फसलोत्तर प्रबन्धन आदि का कार्य भी बोर्ड द्वारा कृषकों के हित में किया जा रहा है।

<u>बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं निम्न हैं :</u>

<u>निर्माण कार्य</u>

वित्तीय वर्ष 2010–11 में सम्पर्क सड़कों तथा मण्डी यार्डों के निर्माण व रख–रखाव और अन्य विभागों के डिपोजिट कार्यों पर कुल 126.20 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। भौतिक लक्ष्यों के अंतर्गत इस वर्ष में 150 कि.मी. लम्बाई की नई सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य रखे गये हैं।

वर्ष 2010–11 में निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्व माह जून, 2010 तक 881.15 लाख रूपये भवन निर्माण 721.52 लाख रूपये विशेष मरम्मत एवं 245.97 लाख रूपये नई सड़कों के निर्माण पर व्यय किये गये। इस प्रकार इस वर्ष में माह जून, 2010 तक कुल 1848.64 लाख रूपये निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये। आलोच्य वर्ष में माह जून, 2010 तक 21.38 कि.मी. लम्बाई की नई सड़कों का निर्माण एवं 50.82 कि. मी. लम्बाई की सड़कों पर विशेष मरम्मत का कार्य किया गया।

<u>''राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009''</u>

राज्य में 30 अगस्त, 1994 से कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों व खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए ''कृषक साथी'' योजना बोर्ड द्वारा शुरू की गयी थी तथा इस योजना से पूर्व 22 दिसम्बर, 2004 से ''किसान जीवन कल्याण योजना'' के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (78)कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 09.12.2009 के द्वारा ''किसान जीवन कल्याण योजना'' को संशोधित कर ''राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009'' के रूप में लागू की गयी है।

''राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009'' में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुये दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 09.12.2009 के पश्चात् से आर्थिक सहायता राशि 5,000 से 1,00,000 रूपये का प्रावधान किया गया है।

.

वेवसाईट

राजकॉम्प से निर्मित करवाई गई कृषि विपणन वेवसाईट से किसानों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए मण्डियों में बाजार भाव, आवक एवं कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकलापों आदि की जानकारी www.rajamb.com पर उपलब्ध है। इस वेवसाईट को समय–समय पर अपडेट किया जाता है ।

राजस्थान में जीरे और धनिये के लिए कृषि निर्यात जोन

कृषि निर्यात जोन की परिकल्पना के तहत जीरा एवं धनिया बाहुल्य क्षेत्र में बाजार की मांग आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये उसके प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु जीरे एवं धनिये के दो कृषि निर्यात जोन की स्थापना की गई है। कृषि निर्यात जोन के तहत निर्धारित उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 21.2.2005 को केन्द्र सरकार की ओर से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एवं राज्य सरकार की ओर से शासन सचिव, कृषि द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

जीरे के लिए नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर एवं धनिये के लिए कोटा, बूंदी, चितौड़गढ़, झालावाड़ एवं बारां जिलों का चयन किया गया है। कृषि निर्यात जोन से 5 वर्ष में लगभग 17,500 मै. टन जीरा एवं लगभग 18,400 मै. टन धनिया निर्यात किये जाने का लक्ष्य है। विगत अवधि में 20747 मै. टन धनिया एवं 5284 मै. टन जीरा निर्यात किया गया है।

लघु व्यापार संघ की स्थापना

केन्द्रीय लघु कृषक व्यापार संघ की सहभागिता से RAJSFACO की स्थापना दिनांक 23.4.2005 को की गई थी । राज्य कृषि विपणन बोर्ड को इसकी नॉडल एजेन्सी बनाया गया। केन्द्रीय संगठन से इसकी हिस्सा राशि रूपये 25 लाख प्राप्त हुआ है तथा बोर्ड की हिस्सा राशि 25 लाख जमा कर कोष का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को वेन्चर केपीटल की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

किसान भवन

किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के संबंध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने,कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्धेश्य से समस्त संभागीय स्तर पर किसान भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन किया जा रहा है।

शेष 26 जिलों में भी किसान भवनों के निर्माण हेतु 31.13 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है, जिनमें से 10 जिलों में किसान भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 16 जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिला स्तर पर किसान भवनों के निर्माण कार्य पर जून, 2010 तक 21.77 करोड़ रूपये व्यय हुये है।

किसान कल्याण कोष की स्थापना

राज्य के किसानों को आवश्यक विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु किसान कल्याण कोष की स्थापना हेतु अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.05.2005 को जारी की गयी, जिसके अनुसरण में बोर्ड के द्वारा ''किसान कल्याण कोष'' की स्थापना की गयी। इस कोष का उपयोग उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। इस कोष से ईजरायली तकनीकी के अध्ययन, राज्य में तकनीकी प्रयोग, मृदा जांच, पैक हाऊस निर्माण व अन्य कृषक कल्याण के कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

सब्जी निर्यात प्रोत्साहन

राज्य में उत्पादित ताजा फल एवं सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहन हेतु राज्य में उत्पादित फल एवं सब्जियों का जयपुर एवं दिल्ली से भी हवाई मार्ग से निर्यात पर 3.50 रूपये प्रति कि.ग्रा. अथवा एफ.ओ.बी. मूल्य का 20 प्रतिशत का अनुदान जो भी कम हो देने का प्रावधान है। वर्तमान में जयपुर के आस–पास के क्षेत्रों से दुबई को नियमित रूप से ताजा सब्जियों का निर्यात हो रहा है।

पैक हाऊस की स्थापना

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा फल–सब्जी का खाड़ी देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से कूल चेन परियोजनान्तर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता से परियोजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत टर्मिनल मार्केट मुहाना (जयपुर), चौमूं एवं शाहपुरा जिला जयपुर में पैक हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सोहेला (टोंक) में राशि 4.31 करोड़ रूपये की लागत से पैक हाउस के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त चार पैक हाऊसों में फल–सब्जी की धुलाई, सफाई के पश्चात् ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रीकूलिंग, हाईड्रोकूलिंग आदि सभी कार्य आधुनिक स्वचालित यंत्रों से किये जा रहे है। इनमें Multi Cooling Chamber की सुविधा है, ताकि आवश्यकतानुसार अधिक समय तक फल–सब्जियों को अलग–अलग तापमान के अनुसार ताजा रखा जा सकेगा। फल–सब्जियों को रेफ्रीजरेटर्ड वेन से एयरपोर्ट तक परिवहन करने की सुविधा भी है।

पैक हाऊसों की क्षमता 30 मै. टन प्रति दिवस की ग्रेडिंग, पैकिंग एवं 100 मै. टन के कूलिंग चैम्बर्स द्वारा कूलिंग की है।

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

फल–सब्जियों में पोस्ट हारवेस्ट क्षति को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 6 कोल्ड स्टोरेज जिनकी कुल भण्ड़ारण क्षमता 17000 मै. टन क्रमशः भीलवाडा, जोधपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर एवं सुमेरपुर में स्थापित किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा उक्त कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु राशि रूपये 11.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। कोल्ड स्टोरेज निर्माण उपरान्त पी.पी.पी. मोड पर संचालित करने के लिए सैद्वान्तिक रुप से निर्णय लिया गया है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण एवं संचालन के लिए निविदायें आमंत्रित कर 18 जनवरी, 2010 को प्राप्त कर खोली जा चुकी है भीलवाड़ा, सीकर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर एवं सुमेरपुर में कार्यादेश दिये जा चुके है। 5 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त झालावाड़ जिले में 4000 मै. टन का कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जैतून की खेती

इजरायली कम्पनी इन्डोलिव लिमिटेड, राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा प्लास्ट्रो प्लासन इण्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड की समान सहभागिता के आधार पर एक ज्वॉइन्ट वैन्चर कम्पनी की स्थापना हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

मैसर्स इन्डोलिव लिमिटेड द्वारा पुनर्खरीद करार के तहत अन्तरर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रचलित कीमत को आधार मानते हुए उत्पाद की खरीद सुनिश्चित की गई है, उक्त MOU के अनुसार राजस्थान ओलिव कल्टिवेशन कम्पनी (ROCL) का गठन किया जा चुका है, तथा बोर्ड प्रबन्धन द्वारा परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसमें 1,12,339 जैतून के पौधों का इजरायल से आयात करने के पश्चात् इन जैतून के पौधों को राजकीय उधान नर्सरी दुर्गापुरा पर हार्डनिंग करने के पश्चात 7 राजकीय फार्मो पर क्रमशः 1. बरोर (अनूपगढ), 2. बाकरिया, लाडनूं (नागौर), 3. लूणकरणसर (बीकानेर), 4. सांथू (जालौर), 5. बासबिसना (झुन्झुनू) 6. तिनकारूढी (अलवर) 7. बस्सी (जयपुर) में 182 हैक्टेयर क्षैत्र में रोपण किया गया है। इस वर्ष 6 स्थान पर इन पौधों में फूल आना शुरू हो गया है तथा 4 स्थान पर फल भी आना प्रारम्भ हुआ है। इस परियोजना की प्रगति की नजदीकी समीक्षा उपरान्त अगले वर्ष से कृषकों के खेतों पर बृहद स्तर पर पौधे लगाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

ऑवला, ईसबगोल एवं संतरा इत्यादि फलों की फूड प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना पर अनुदान

इस योजनान्तर्गत प्रोसेसिंग इकाईयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उधान विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान का 50 प्रतिशत उधान विभाग द्वारा व 50 प्रतिशत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उधान विभाग द्वारा 5 प्रोसेसिंग ईकाईयों को अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। भौतिक सत्यापन उपरान्त बोर्ड द्वारा चार परियोजनाओं की 106.29 लाख रूपये की बोर्ड के हिस्से की स्वीकृति जारी कर सम्बन्धित बैकों को भुगतान कर दिया गया है।